

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला-ऊधम सिंह नगर।

फौजदारी वाद संख्या-44 / 2023

कम्प्यूटर संख्या-140 / 2023

उत्तराखण्ड राज्य

बनाम

आसिफ आदि

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-650 / 2022

धारा-457, 380, 411 भारतीय दण्ड संहिता

थाना-काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)

—: जमानत आदेश :-

दिनांक: 19.06.2023

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त बसरुद्दीन उर्फ बसरु पुत्र तसलीम, निवासी-धोबियान मस्जिद के पास ठाकुरद्वारा, हाल-कटोराताल काशीपुर, थाना काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय से पेश किया गया कि अभियुक्त दिनांक 10.11.2022 से उपकारागार हल्लदानी में निरुद्ध है। माननीय न्यायालय से दिनांक 09.05.2023 को अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है, परन्तु अभियुक्त गरीब है, इसलिए जमानत के आदेशानुसार जामिनान देने में असमर्थ है। अतः अभियुक्त को न्यायहित में धारा-440 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में ता-फैसला निजी मुचलका पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

2. जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित रस्तोगी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त बसरुद्दीन उर्फ बसरु को मामले में दिनांक 09.05.2023 को जमानत दी जा चुकी है, परन्तु उसके पश्चात् उसके द्वारा जमानती प्रस्तुत न करने के कारण अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में उपकारागार हल्लदानी में निरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित *Satender Kumar Antil vs. CBI & Anr.* एवं *Siddharta v. State of UP (2021) 1 SCC 676* न्याय दृष्टांत में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अभियुक्त की जमानत की शर्तों का शिथिलिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्त को दी गई जमानत की शर्तों का शिथिलिकरण करते हुए अभियुक्त को **मुवलिंग 20,000/- (बीस हजार रुपये)** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। अभियुक्त का रिहाई आदेश उपकारागार हल्लदानी प्रेषित हो।

(मिथिलेश पाण्डेय)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर,
जिला-ऊधम सिंह नगर।